न्यायालय सत्र न्यायाधीश, हापुड़।

उपस्थितः– अजय कुमार सिंह–प्रथम, एच0 जे0 एस0 (UP 2009)

CNR No- UPHP010075732025

फौजदारी विविध वाद संख्या– 138 सन् 2025

मैसर्स दुर्गा ट्रेडिंग कम्पनी **बनाम** उ0प्र0 राज्य आदि।

दिनांकः 24.07.2026

1. पत्रावली पेश हुई। पत्रावली आदेशार्थ नियत है। विगत तिथि पर पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना जा चुका है।

2. प्रार्थी मैसर्स दुर्गा ट्रेडिंग कम्पनी प्रोपराईटर राजेन्द्र कुमार की ओर से प्रार्थना पत्र 3ख मय शपथपत्र 4ख इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि यह कि प्रार्थी के विरूद्ध विपक्षी सं० 2 द्वारा प्रार्थी का चैक लूटकर फर्जी बिल बनाकर वाद सं० 10315 सन् 2018 माननीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हापुड के यहां योजित कर दिया गया था जिस पर प्रार्थी ने विपक्षी सं० 2 के प्रोपराईटर सरवचन सिंह के विरुद्ध थाना हापुड नगर पर मु०अ०सं० 162 सन् 2025 धारा 420, 467, 468, 471, 506 आई०पी०सी० दर्ज कराया था, जिसमें आरोपपत्र प्रेषित होकर माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हापुड़ के यहां वाद चल रहा था, जिसे प्रार्थी ने ट्रांसफर कराने हेतु दोनों वादों का एक साथ निस्तारण के लिए आवेदन दिया था, जिसमें न्यायालय द्वारा दिनांक 13.11.2025 को दोनों वादों के एक साथ निस्तारित किये जाने के आदेश पारित किये गये, जिसके आधार पर माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हापुड के यहां विचाराधीन वाद सरकार बनाम सरवचन माननीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हापुड के ट्रांसफर हुआ। प्रार्थी द्वारा दिनांक 25.03.2026 को माननीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हापुड के न्यायालय में इस आशय का प्रार्थनापत्र दिया गया कि माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय के आदेश दिनांक 13.11.2025 के अनुपालन में दोनों वादों का निस्तारण एक साथ किया जाये, जिसको माननीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हापुड द्वारा उसी दिन खंडित कर दिया कि मु०अ०सं० 162 सन् 2025 की कार्यवाही माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से स्थगित है, तथा सत्र न्यायालय द्वारा अपना आदेश दिनांक 13.11.2025 में दोनों वादों को एक साथ निस्तारित करने का आदेश नहीं है, जिसके विरूद्ध प्रार्थी द्वारा माननीय जिला जज महोदय हापुड के यहां फौजदारी निगरानी सं० 58 सन् 2026 योजित की गई जिसे माननीय जिला जज महोदय हापुड द्वारा खंडित कर दिया गया। इसके अतिरिक्त प्रार्थी द्वारा एक याचिका अन्तर्गत धारा– 528 बी०एन०एस०एस० सं० 22548 सन् 2026 मैसर्स दुर्गा ट्रेडिंग कम्पनी बनाम उ०प्र० सरकार आदि भी योजित की गई थी, जिसमें दिनांक 29.5.2026 को अपराध सं० 162 सन् 2025 के संबंध में योजित याचिका को तलब करते हुये जून के द्वितीय सप्ताह में सुनवाई हेतु नियत की गई तथा इस याचिका में दिनांक 08.06.2026 को विपक्षी सं0 2 को नोटिस जारी करते हुये ऐज ए फ्रेश दो सप्ताह बाद सुनवाई के आदेश पारित किये गये है, जिसकी नैट से प्राप्त प्रतिलिपि संलग्न है। उपरोक्त वाद में प्रार्थी अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 02.06.2026 को इस आश्य का प्रार्थनापत्र दिया गया कि उनका स्वास्थ्य सही नहीं है तथा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं माननीय सत्र न्यायालय में उपरोक्त वाद से संबंधित याचिका व निगरानी विचाराधीन है, जिस कारण आज की तिथि स्थगित की जाये लेकिन अवर न्यायालय ने

Digitally signed by AJAY KUMAR SINGH
Date: 2026.07.24 14:40:56 IST
Reason: judgment
Location: District and Sessions Court,Hapur

उपरोक्त प्रार्थनापत्र पर पुटअप विद फाईल के आदेश पारित किये, और पत्रावली आर्डरशीट पर दिनांक 16.06.2026 के जजमेन्ट हेतु नियत कर दी गई। तत्पश्चात् दिनांक 16.06.2026 को अवर न्यायालय के पीठासीन महोदय अवकाश पर होने के कारण दिनांक 23.06.2026 की तिथि नियत की गई तथा उपरोक्त वाद में बहस सुनकर पत्रावली दिनांक 25.06.2026 के लिए निर्णय हेतु नियत कर दी गई है जबकि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में उपरोक्त याचिका सं0 22548 सन् 2026 विचाराधीन है जिसमें कामयाबी की पूर्ण आशा है। विपक्षी सं० 2 द्वारा फर्जी तरीके से बनाये गये बिल एवं फर्जी साक्ष्य अपने मुकदमें में दिये गये है, जिसके संबंध में विपक्षी सं० 2 के विरूद्ध अवर न्यायालय में एक वाद सं0 424 सन् 2026 मैसर्स श्री दुर्गा ट्रेडिंग कम्पनी बनाम मैसर्स राज ट्रेडिंग कम्पनी धारा–340 सीआर०पी०सी० विचाराधीन है, जिसमें विपक्षी सं० 2 की आपत्ति अवर न्यायालय द्वारा मांगी गई है लेकिन धारा–340 सीआर०पी०सी० की कार्यवाही के विचाराधीन रहते हुये भी वाद सं० 10315 सन् 2018 में निर्णय हेतु पत्रावली दिनांक 25.06.2026 नियत कर दी गई है जिस कारण प्रार्थी को माननीय अवर न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हापुड के पीठासीन अधिकारी से न्याय की उम्मीद नहीं रही है, जिस कारण उपरोक्त पत्रावली किसी अन्य न्यायालय में ट्रांसफर किए जाने की याचना की गयी है।

4. सम्बन्धित न्यायालय से आख्या आहूत की गयी।

5. अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हापुड़ की ओर आख्यानुसार परिवाद संख्या–10315 सन् 2018 मै0 राज ट्रेडिंग कं0 बनाम दुर्गा ट्रेडिंग कं0 अन्तर्गत धारा–138 एन0आई0 एक्ट, थाना हापुड़ देहात की पत्रावली उनके न्यायालय में लंबित चल रही है। उपरोक्त पत्रावली को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेशानुसार शीघ्रातिशीघ्र निस्तारित किए जाने हेतु आदेशित किया गया है, जो निर्णय हेतु दिनांक 02.07.2026 के लिए नियत है।

6. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना व सम्बन्धित न्यायालय की आख्या का अवलोकन किया।

7. प्रार्थी द्वारा स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र में यह तर्क लिया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन याचिका सं0 22548 सन् 2026 में उन्हें कामयाबी की पूर्ण आशा है। विपक्षी सं० 2 द्वारा फर्जी तरीके से बनाये गये बिल एवं फर्जी साक्ष्य अपने मुकदमें में दिये गये है, जिसके संबंध में विपक्षी सं० 2 के विरूद्ध अवर न्यायालय में एक वाद सं0 424 सन् 2026 मैसर्स श्री दुर्गा ट्रेडिंग कम्पनी बनाम मैसर्स राज ट्रेडिंग कम्पनी धारा–340 सीआर०पी०सी० विचाराधीन है, जिसमें विपक्षी सं० 2 की आपत्ति अवर न्यायालय द्वारा मांगी गई है लेकिन धारा–340 सीआर०पी०सी० की कार्यवाही के विचाराधीन रहते हुये भी वाद सं० 10315 सन् 2018 में निर्णय हेतु पत्रावली दिनांक 25.06.2026 नियत कर दी गई है जिस कारण प्रार्थी को माननीय अवर न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हापुड के पीठासीन अधिकारी से न्याय की उम्मीद नहीं रही है, जिस कारण उपरोक्त पत्रावली किसी अन्य न्यायालय में ट्रांसफर किए जाने की याचना की गयी है। पीठासीन अधिकारी द्वारा इस संबंध में अपनी आख्या प्रस्तुत की गयी है कि परिवाद संख्या–10315 सन् 2018 मै0 राज ट्रेडिंग कं0 बनाम दुर्गा ट्रेडिंग कं0 अन्तर्गत धारा–138 एन0आई0 एक्ट, थाना हापुड़ देहात की पत्रावली उनके न्यायालय में लंबित चल रही है। उपरोक्त पत्रावली को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेशानुसार शीघ्रातिशीघ्र निस्तारित किए जाने हेतु आदेशित किया गया है। इस स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र में उक्त न्यायालय के पीठासीन अधिकारी पर कोई आरोप नहीं लगाया गया है। पक्षकारों का न्याय व्यवस्था में विश्वास बना रहे, इसलिए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुए एवं पत्रावली को गुण–दोष के आधार पर अन्तिम निस्तारण करने हेतु तथा न्याय की मंशा प्राप्त करने के लिए उक्त पत्रावली को किसी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरण किया जाना न्यायसंगत होगा।

अतः स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र 3ख में लगाए गए आरोप के गुण–दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना न्यायहित में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र 3ख स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी का स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र 3ख न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। परिवाद संख्या–10315/2018 मैसर्स राज ट्रेडिंग कम्पनी बनाम मैसर्स श्री दुर्गा ट्रेडिंग कम्पनी, अन्तर्गत धारा 138 एन.आई.एक्ट, थाना हापुड़ देहात की पत्रावली को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हापुड़ के न्यायालय से वापस लेकर विधिनुसार निस्तारण हेतु सिविल जज (सी0डि0) द्वितीय हापुड़ के न्यायायालय में स्थानान्तरित की जाती है।

न्यायालय सिविल जज (सी0डि0) द्वितीय हापुड़ को आदेशित किया जाता है कि वह पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उक्त पत्रावली का गुण–दोष के आधार पर अन्तिम निस्तारण शीघ्र अतिशीघ्र यदि सम्भव हो तो एक माह के अन्दर करना सुनिश्चित करें तथा उक्त पत्रावली में की जा रही कार्यवाही की सूचना प्रत्येक सप्ताह इस न्यायालय को देना सुनिश्चित करें।

संबंधित सूचित हों।

दिनांकः 24.07.2026

(**अजय कुमार सिंह प्रथम**)
सत्र न्यायाधीश,
हापुड़।